



Riyasat IAS Mentorship

To Crack CSE 2027-28

Riyasat IAS Foundation Mentorship Program Prelims + Mains Program

*Shaping Potential
Into Performance*

English - हिंदी माध्यम



Riyasat Ali Sir

IAS Mentor Since 2011

भारतीय राजव्यवस्था नोट्स - हिंदी मीडियम

More Information: 8090528260, 9319612575, 9266989092

स्पीकर"/लोकसभा अध्यक्ष

प्रत्येक सदन का अपना **अध्यक्षीय पदाधिकारी** होता है। **लोकसभा** में **अध्यक्ष (स्पीकर)** और **उप-अध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर)** होते हैं। **राज्यसभा** में **सभापति (उपराष्ट्रपति)** और **उप-सभापति** होते हैं। दोनों सदन मुख्य अध्यक्षीय अधिकारियों की अनुपस्थिति में बैठकें संचालित करने हेतु **अध्यक्षों/उप-अध्यक्षों के पैनल** का भी गठन करते हैं।



अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष से संबंधित संवैधानिक प्रावधान


- **अनुच्छेद 93:** लोकसभा के अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष की नियुक्ति।
- **अनुच्छेद 94:** लोकसभा के अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष के पद से **पदत्याग/पद-त्याग/हटाया जाना**।
- **अनुच्छेद 95:** उप-अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को लोकसभा के **अध्यक्ष के कार्यों का निष्पादन** करने या **कार्यकारी अध्यक्ष** के रूप में कार्य करने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 96:** जब अध्यक्ष या उप-अध्यक्ष को पद से **हटाने के प्रस्ताव** पर विचार किया जा रहा हो, उस समय वे **अध्यक्षता नहीं करेंगे**।
- **अनुच्छेद 97:** अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष का **वेतन और भत्ते**।

निर्वाचन और कार्यकाल

- **अध्यक्ष का निर्वाचन** लोकसभा की पहली बैठक के तुरंत बाद **इसके सदस्यों में से** किया जाता है। **राष्ट्रपति** निर्वाचन की तिथि निर्धारित करते हैं।
- अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा की अवधि तक पद पर रहता है, लेकिन उसे पहले पद खाली करना होता है यदि:
 - वह **सांसद रहना बंद** कर दे,
 - वह **उप-अध्यक्ष को त्यागपत्र** दे दे,
 - वह सदन के **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत** से पारित **प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए (14 दिन का नोटिस आवश्यक)**।
- **हटाने के प्रस्ताव** के दौरान अध्यक्ष **अध्यक्षता नहीं** कर सकता, लेकिन **भाग ले सकता है और मतदान** कर सकता है।
- लोकसभा के **विघटन** के बाद भी अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक **नई लोकसभा की बैठक** न हो जाए—जिससे संस्थागत **सततता** बनी रहती है।
- भारत में अध्यक्ष का निर्वाचन **सर्वसम्मति पर आधारित परंपरा** का पालन करता है, हालांकि संविधान इसे **अनिवार्य नहीं** करता।

अध्यक्ष के पद की भूमिका, शक्तियाँ, कार्य एवं महत्व

अध्यक्ष लोकसभा के प्रमुख और प्रतिनिधि होते हैं तथा सदन के **विशेषाधिकारों के संरक्षक** होते हैं, जिनके पास सदन के भीतर सर्वोच्च अधिकार होता है। उनकी शक्तियाँ **संविधान, लोकसभा के नियम** तथा **संसदीय परंपराओं** से प्राप्त होती हैं।



- **व्यवस्था एवं प्रक्रिया बनाए रखना:** अध्यक्ष सदन में व्यवस्था, गरिमा और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं ताकि बहस सुचारु रूप से चले। वे अध्यक्षों का समय नियंत्रित करते हैं, प्रस्तावों को अनुमति/अस्वीकृति देते हैं, और अव्यवस्थित व्यवहार पर सदस्यों को दंडित कर सकते हैं। प्रक्रिया पर उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
- **अंतिम व्याख्याकार:** लोकसभा के भीतर, अध्यक्ष संविधान, प्रक्रिया नियमों और संसदीय नज़ीरों की अंतिम व्याख्या करने वाले प्राधिकारी हैं। इससे संसद का संचालन सुसंगत, निष्पक्ष और प्रक्रियागत रूप से सही बना रहता है। एम.एस.एम. शर्मा (1959) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 122 के तहत इस विशेषाधिकार की पुष्टि की।
- **स्थगन एवं कोरम नियंत्रण:** यदि कोरम (सदस्यों का 1/10 न्यूनतम) पूरा न हो तो अध्यक्ष बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकते हैं। इससे सदन का कामकाज केवल तब ही चलता है जब वैध संख्या में सदस्य उपस्थित हों।
- **निर्णायक मत:** सामान्यतः अध्यक्ष मतदान नहीं करते। लेकिन बराबरी की स्थिति में वे निर्णायक मत (casting vote) देकर गतिरोध खत्म करते हैं। इससे निष्पक्षता भी बनी रहती है और निर्णय भी रुकते नहीं।
- **संसद की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108):** लोकसभा और राज्यसभा के बीच विधायी गतिरोध दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं। इससे दोनों सदनों के बीच उत्पन्न विवाद सुलझाने में अध्यक्ष की केंद्रीय भूमिका तय होती है।
 - उदाहरण: दहेज निषेध विधेयक (1961), बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1977)
- **गोपनीय बैठक:** सदन के नेता के अनुरोध पर अध्यक्ष गोपनीय बैठक बुला सकते हैं, जिसमें मीडिया या बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश नहीं होता। इसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा या अत्यंत संवेदनशील परिस्थितियों में होता है।
- **मनी बिल का प्रमाणीकरण (अनुच्छेद 110):** कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं और उनका प्रमाणपत्र अंतिम होता है। इसके बिना लोकसभा राज्यसभा को वित्तीय विधेयकों पर दरकिनार नहीं कर सकती। इससे अध्यक्ष की विशाल संवैधानिक शक्ति स्थापित होती है।
- **दलबदल विरोधी मामलों का निर्णय (दसवीं अनुसूची):** पार्टी बदलने या विपक्ष का उल्लंघन करने जैसी स्थितियों में अयोग्यता पर निर्णय अध्यक्ष करते हैं। किहोतो होलोहन (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा योग्य है, लेकिन केवल निर्णय के बाद।
- **पदेन (Ex-officio) पद:** अध्यक्ष, भारतीय संसदीय समूह (भारत का विश्व संसदों से संबंध) और अध्यक्षीय अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार वे भारत के मुख्य संसदीय राजनयिक हैं।

- **समिति संबंधी अधिकार:** अध्यक्ष सभी लोकसभा समितियों के **अध्यक्षों की नियुक्ति** करते हैं और उनके कामकाज की निगरानी करते हैं। वे स्वयं प्रमुख समितियों के अध्यक्ष होते हैं जैसे:
 - **व्यवसाय सलाहकार समिति** (समय आवंटन तय करती है)
 - **नियम समिति** (संसदीय नियमों में संशोधन करती है)
 - **सामान्य प्रयोजन समिति** (सलाहकारी निर्णय)
- **संवैधानिक प्राधिकरण:** अनुच्छेद **93-97** के तहत अध्यक्ष लोकसभा के **श्रेष्ठ संवैधानिक प्राधिकारी** हैं, जो सदन की **सर्वोच्चता** का प्रतीक हैं। संविधान सभा ने अध्यक्ष को **“संसदीय ढाँचे की keystone”** कहा था।
- **संसदीय लोकतंत्र के संरक्षक:** सदन के संरक्षक के रूप में अध्यक्ष विधायिका की स्वतंत्रता को **कार्यपालिका के प्रभुत्व** से बचाते हैं। **सरकारिया आयोग (1988)** ने अध्यक्ष को **“विधायी स्वायत्तता का रक्षक”** बताया।
- **विशेषाधिकारों की रक्षा:** अध्यक्ष **संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105)** की सुरक्षा करते हैं।
 - उदाहरण: मीडिया या सांसदों से जुड़े विशेषाधिकार हनन मामलों में कार्टवाइ करके सदन की गरिमा बनाए रखना।
- **संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करना:** प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को अध्यक्ष नियंत्रित करते हैं।
 - अध्ययन: **PRS** विश्लेषण बताता है कि उत्पादकता और जवाबदेही काफी हद तक अध्यक्ष द्वारा नियमों के कठोर अनुपालन पर निर्भर करती है।
- **उच्च संवैधानिक दर्जा:** अध्यक्ष **क्रमानुसार सातवें स्थान** पर आते हैं—जो **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के बराबर है—यह पद की गरिमा एवं स्वतंत्रता दर्शाता है।
- **बहुमतवाद के विरुद्ध सुरक्षा:** **NCRWC (2002)** और **पंची आयोग (2010)** ने जोर दिया कि बहसों में गमगिमी या विधायी ‘बलपूर्वक पारित’ स्थितियों में अध्यक्ष **अल्पसंख्यक आवाज़ों की रक्षा** करते हैं।
- **संकट प्रबंधन की भूमिका:** राजनीतिक अस्थिरता या संवैधानिक संकट की स्थिति में अध्यक्ष की **निष्पक्षता** अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

अध्यक्ष की स्वतंत्रता और निष्पक्षता:

अध्यक्ष का पद प्रतिष्ठा, संवैधानिक अधिकार और अत्यधिक जिम्मेदारी वाला पद है, इसलिए इसकी **स्वतंत्रता और निष्पक्षता**

अनिवार्य (sine qua non) मानी जाती है। विभिन्न संवैधानिक एवं प्रक्रियागत सुरक्षा प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अध्यक्ष **दलीय राजनीति से ऊपर** रहकर **संसदीय लोकतंत्र की रक्षा** करें।

- **कार्यकाल की सुरक्षा:** अध्यक्ष का कार्यकाल अत्यंत सुरक्षित है और उन्हें केवल **विशेष बहुमत**—अर्थात् लोकसभा के **तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत**—से ही हटाया जा सकता है।
 - कम से कम **50 सदस्यों का समर्थन** हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आवश्यक है।
 - यह ऊँची शर्त सुनिश्चित करती है कि अध्यक्ष को **राजनीतिक लाभ के लिए हटाया न जा सके**।



- मंत्रियों के विपरीत, जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, अध्यक्ष इस विशेष प्रक्रिया के कारण **कार्यपालिका के दबाव से मुक्त** रहते हैं।
- **वेतन एवं भत्ते – भारत की संचित निधि पर भारित (CFI):** अध्यक्ष का वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं, परंतु वे **भारत की संचित निधि पर भारित** होते हैं, अर्थात् इन पर **वार्षिक मतदान नहीं होता**।
 - इससे कार्यपालिका या सत्तारूढ़ बहुमत द्वारा **आर्थिक दबाव या नियंत्रण** संभव नहीं होता।
 - **Charged expenditure** को कटौती प्रस्तावों से भी कम या हटाया नहीं जा सकता।
- **आचरण चर्चा के लिए खुला नहीं:** अध्यक्ष के आचरण की आलोचना सदन में नहीं की जा सकती, सिवाय एक **औपचारिक प्रस्ताव (substantive motion)** के माध्यम से।
 - इससे बहसों के दौरान व्यक्तिगत हमले या नियमित आलोचनाएँ असंभव हो जाती हैं।
 - यह व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय परंपरा से ली गई है, जिसमें अध्यक्ष को **दलीय हमलों से संरक्षण** दिया जाता है।
- **प्रक्रियागत शक्तियों पर न्यायिक प्रतिरक्षा:** सदन की प्रक्रिया, नियमों की व्याख्या और व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े अध्यक्ष के निर्णय **न्यायिक जांच के दायरे से बाहर** हैं।
 - अदालतें उनके **आंतरिक प्रक्रियागत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं** कर सकतीं।
 - इससे संसद की **विशेषाधिकार—स्वायत्त अधिकार क्षेत्र** संरक्षित रहता है।
 - अपवाद: **दसवीं अनुसूची (दलबदल)** के तहत लिए गए निर्णय **न्यायिक पुनरावलोकन योग्य** हैं (किहोटो होलोहन, 1992)।
- **निष्पक्षता हेतु सीमित मतदान:** अध्यक्ष सामान्य तौर पर मतदान **नहीं करते**; वे केवल बराबरी की स्थिति में **निर्णायक मत (casting vote)** देते हैं।
 - इससे वे नियमित विधायी मतदान में पक्ष नहीं लेते और उनकी **राजनैतिक निष्पक्षता** मजबूत होती है।
 - यह वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप है कि अध्यक्षीय अधिकारी **केवल गतिरोध दूर करने** के लिए वोट दें।
- **उच्च संवैधानिक स्थान:** क्रमविभाजन में अध्यक्ष **सातवें स्थान** पर होते हैं—जो **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के बराबर है और सभी केंद्रीय मंत्रियों से ऊपर (प्रधानमंत्री/उप-प्रधानमंत्री को छोड़कर)।
 - यह उच्च रैंकिंग इस पद की **स्वतंत्रता, गरिमा और संवैधानिक महत्व** को दर्शाती है।
 - इससे स्पष्ट होता है कि अध्यक्ष **लोकतांत्रिक सदन के संस्थागत प्रमुख** हैं, न कि सरकार के अंग।
- **ब्रिटिश परंपरा बनाम भारतीय वास्तविकता:**
 - ब्रिटेन में, अध्यक्ष **अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़ देते हैं** और पूरी तरह गैर-दलीय रहते हैं।
 - भारत में अध्यक्ष पार्टी सदस्यता नहीं छोड़ते, जिससे कभी-कभी **निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न** लगते हैं।
 - भारत ने अभी तक ब्रिटिश परंपरा की तरह **पूर्ण राजनीतिक निरपेक्षता** को संस्थागत रूप नहीं दिया है।
 - **NCRWC, सरकारिया आयोग, पंची आयोग** ने अध्यक्ष की निष्पक्षता को मजबूत करने हेतु ब्रिटिश परंपरा अपनाने की सिफारिश की है।

Q. लोकसभा के स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2024)**

जब लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तब—

1. वह सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा/करेगी।
2. उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा।
3. उसे प्रथम दृष्टया उस प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Q. लोकसभा के स्पीकर के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2012)**

1. वह राष्ट्रपति की इच्छा (Pleasure) पर पद धारण करता/करती है।
2. उसके लिए चुनाव के समय लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन चुनाव की तिथि से छह माह के भीतर उसे लोकसभा का सदस्य बनना होगा।
3. यदि वह इस्तीफा देना चाहता/चाहती है, तो उसका इस्तीफा उप-सभापति (डिप्टी स्पीकर) को संबोधित किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) कोई नहीं

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2018)**

1. विधान सभा का स्पीकर, यदि वह विधानसभा का सदस्य रहना बंद कर दे, तो अपना पद रिक्त कर देगा/देगी।
2. जब भी विधान सभा भंग की जाती है, स्पीकर तुरंत अपना पद त्याग देता/देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2017)**

1. लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में, विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए कुल डाले गए मतों का कम से कम 50% प्राप्त करना आवश्यक है।
2. भारत के संविधान के अनुसार, लोकसभा में स्पीकर का पद बहुमत दल को और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

Q. लोकसभा के उपसभापति (Deputy Speaker) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2022)**

1. लोकसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, उपसभापति का चुनाव उस तिथि को होगा जिसे स्पीकर निर्धारित करेगा।
2. यह अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपसभापति के रूप में उम्मीदवार का चुनाव या तो मुख्य विपक्षी दल से या सत्तारूढ़ दल से ही होना चाहिए।
3. उपसभापति के पास उस समय स्पीकर के समान शक्ति होती है जब वह सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहा हो, और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
4. उपसभापति की नियुक्ति से संबंधित सूच्यवस्थित संसदीय परंपरा यह है कि प्रस्ताव स्पीकर द्वारा लाया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा उसका समर्थन (सेकंड) किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 1, 2 और 3
- (c) केवल 3 और 4
- (d) केवल 2 और 4

अध्यक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:




किहोटो होलोहन मामला (1993)	<p>मुख्य सिद्धांत – अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन</p> <ul style="list-style-type: none"> सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दलबदल के मामलों में अध्यक्ष के अयोग्यता संबंधी निर्णय अंतिम नहीं हैं। इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है, पर केवल सीमित आधारों पर जैसे—दुराग्रह, दुर्भावना, असंवैधानिकता, या अधिकार क्षेत्र का अभाव। न्यायिक समीक्षा केवल निर्णय होने के बाद ही संभव है—मध्यावधि हस्तक्षेप नहीं। महत्त्व: इस निर्णय ने विधायी स्वायत्तता और न्यायिक पर्यवेक्षण के बीच संतुलन बनाया।
नाबम रेबिया मामला (2016)	<p>मुख्य सिद्धांत – हटाने के प्रस्ताव लंबित होने पर अध्यक्ष दलबदल मामलों पर निर्णय नहीं कर सकते</p> <ul style="list-style-type: none"> सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष को हटाने की सूचना लंबित है, तो अध्यक्ष दलबदल मामलों पर निर्णय करने में अक्षम (disabled) हो जाते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अध्यक्ष अपने अयोग्यता संबंधी अधिकारों का दुरुपयोग न करें। उद्देश्य: निष्पक्षता सुनिश्चित करना और प्रतिशोधात्मक/पक्षपातपूर्ण अयोग्यता रोकना।
केशम मेघाचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर विधानसभा (2020)	<p>मुख्य सिद्धांत – अयोग्यता याचिकाओं पर 3 महीने में निर्णय अनिवार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दलबदल से संबंधित मामलों पर अध्यक्ष को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए, सिवाय विशेष परिस्थितियों में। यह फैसला कई विधानसभाओं में लंबी देरी के बाद आया। महत्त्व: समयबद्धता सुनिश्चित करना, राजनीतिक अनिश्चितता रोकना और रणनीतिक देरी पर रोक लगाना।
सुभाष देसाई मामला (2023)	<p>मुख्य सिद्धांत – दलबदल मामलों पर निर्णय के लिए अध्यक्ष को स्पष्ट समयसीमा तय करनी होगी</p> <ul style="list-style-type: none"> सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे लंबित अयोग्यता मामलों के लिए समयसीमा निर्धारित करें और उसका पालन करें। यह निर्णय दलबदल मामलों में तत्कालता और प्रक्रियात्मक न्याय की आवश्यकता को मजबूत करता है।

- **प्रभाव:** राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति वाले राज्यों में यह दिशानिर्देश भविष्य में भी लागू हो सकता है।

अध्यक्ष के पद से संबंधित समस्याएँ

- **निर्णय-निर्माण में पक्षपात:** अध्यक्ष प्रायः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, इसलिए उन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। **किहोटो होलोहन मामला (1993)** में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कई बार अध्यक्षों ने अपनी पार्टी के हित में निर्णय दिए हैं, विशेषकर **दलबदल** और **मनी बिल प्रमाणन** जैसे संवेदनशील मामलों में।
- **दलबदल मामलों में देरी:** अध्यक्षों ने कई बार निर्णयों में अनावश्यक देरी की है, जिससे सत्तारूढ़ दल को लाभ हुआ।
 - **उदाहरण: मणिपुर विधानसभा (2017)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सप्ताह की समयसीमा देने के बावजूद मामला वर्षों लंबित रहा, जिससे सरकार ने बहुमत बनाए रखा।
- **राजनीतिक उद्देश्य से अयोग्यता:** दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की शक्ति का कई बार दुरुपयोग हुआ है।
 - **उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश (2016)** में अध्यक्ष **नाबम रेबिया** ने 16 विधायकों को बिना व्हिप उल्लंघन के अयोग्य घोषित कर दिया, जिसे सत्तारूढ़ गुट को लाभ पहुँचाने वाला कदम माना गया।
- **मनी बिल प्रमाणन का दुरुपयोग:** कई विवादित विधेयकों को **मनी बिल** घोषित कर **राज्यसभा की समीक्षा से बचने** के आरोप लगे हैं।
 - **उदाहरण: आधार अधिनियम (2016)** का मनी बिल प्रमाणन कानूनी विशेषज्ञों द्वारा आलोचित हुआ और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रश्न उठे।
- **संसदीय समितियों को दरकिनार करना:** विधेयकों को समितियों को भेजने की परंपरा बहुत घट गई है— **71% (2009-14)** से घटकर केवल **16% (2019-24)**— इससे **विस्तृत समीक्षा** और **विधायी गुणवत्ता** कमजोर हुई है।
- **बहस के बिना जल्दबाज़ी में कानून:** कई विधेयक बिना पर्याप्त बहस, चर्चा या समिति परीक्षण के पारित किए जाते हैं।
 - **उदाहरण: कृषि कानून (2020)** बिना समिति के भेजे पारित हुए, जिससे देशव्यापी विरोध और अंततः निरस्तीकरण हुआ।
- **सांसदों का निलंबन – राजनीतिक हथियार:** विपक्षी MPs के कथित पक्षपातपूर्ण निलंबन के आरोप लगते रहे हैं।
 - **उदाहरण: सत्र 2023** में रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसद निलंबित हुए, जिससे निष्पक्ष संसदीय कार्यवाही पर प्रश्न उठे।
- **बहस और चर्चाओं पर प्रतिबंध:** अध्यक्ष द्वारा **समय आवंटन** और **चर्चा के विषय** नियंत्रित करने की शक्ति कभी-कभी सरकार के लिए असहज मुद्दों को दबा देती है, जिससे **राष्ट्रीय हित पर पार्टी हित** हावी हो सकता है।
- **निष्पक्षता नियमों का कमजोर पालन:** UK के विपरीत, भारत में अध्यक्ष चुनाव के बाद अपनी पार्टी नहीं छोड़ते।
 - **NCRWC (2002)** और **दिनेश गोस्वामी समिति (1990)** ने निष्पक्षता मजबूत करने की सिफारिश की, परन्तु इन्हें लागू नहीं किया गया।
- **निर्णयों के लिए समयसीमा का अभाव:** **केशम मेघाचंद्र (2020)** जैसे अपवादों को छोड़कर दलबदल या प्रमाणन से जुड़े निर्णयों के लिए **कानूनी समयसीमा नहीं** है, जिससे राजनीतिक दुरुपयोग संभव हो जाता है।
- **अपर्याप्त जवाबदेही:** अनुच्छेद 122 के तहत सदन की आंतरिक प्रक्रिया पर अध्यक्ष के निर्णय **न्यायिक समीक्षा से संरक्षित** हैं, जिससे कई मामलों में संस्थागत जवाबदेही कम हो जाती है।



अध्यक्ष के पद को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन

- **स्थिरता बनाए रखना:** अध्यक्ष की **निष्पक्षता** और **उचितता** सदन की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक हैं। **अविश्वास प्रस्ताव, समय आवंटन और सदस्यों की मान्यता** पर उनके निर्णय सीधे **सरकार की स्थिरता** को प्रभावित करते हैं।
- **विवाद समाधान में भूमिका:** गठबंधन सरकारों में अध्यक्ष को **निष्पक्ष मध्यस्थ** के रूप में कार्य करना चाहिए, **विचारधारात्मक रूप से विविध दलों के बीच विवादों को सुलझाते हुए संसद की सामूहिक इच्छा** का पालन करना चाहिए।
- **विधायी परिणामों पर प्रभाव:** **विधायी एजेंडा नियंत्रित** करके अध्यक्ष यह तय कर सकते हैं कि **विधेयक किस प्राथमिकता के साथ पारित हों**।
 - **प्रणब मुखर्जी** ने सही रूप से कहा: **“अध्यक्ष सरकार और विपक्ष के बीच सेतु हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करते हैं।”**
- **गैर-दलीयता सुनिश्चित करना:** भारत **UK की प्रथा के समान** एक परंपरा पर विचार कर सकता है, जिसमें **अध्यक्ष अपनी पार्टी से इस्तीफा दें**, ताकि **निष्पक्षता** मजबूत हो।
 - **उदाहरण: एन. संजीव रेड्डी (1967)** ने अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, जिससे **सकारात्मक उदाहरण** स्थापित हुआ।
- **255वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (2015):** अध्यक्ष की जगह **अयोग्यता मामलों का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र निकाय** बनाने की सिफारिश की।
- **संसदीय स्थायी समिति (2010):** **दल बदल विरोधी निर्णय** को अध्यक्ष से हटाकर **बाहरी प्राधिकारी** को सौंपने का सुझाव दिया, ताकि **निष्पक्षता** बढ़े।
- **वी.एस. पेज समिति:** यदि अध्यक्ष ने **निष्पक्षता और दक्षता** दिखाई हो, तो अगले संसद के लिए उन्हें जारी रखने की सिफारिश की।
- **संवैधानिक संशोधन:** भारत को संविधान में संशोधन पर विचार करना चाहिए, जिससे **अध्यक्ष को पार्टी सदस्यता से इस्तीफा देना अनिवार्य** हो, और यह **वैश्विक लोकतांत्रिक मानकों** के अनुरूप हो।
- **अध्यक्ष के लिए आचार संहिता:** **निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही** को सुनिश्चित करने वाली एक व्यापक संहिता बनाई जानी चाहिए और इसे **स्वतंत्र नैतिक निकाय** द्वारा निगरानी में रखा जाना चाहिए।
- **विधेयकों की अधिक समीक्षा:** अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **महत्वपूर्ण विधेयक स्थायी समितियों को भेजे जाएँ**। **सदस्यों का निलंबन** केवल आवश्यकतानुसार और **संसदीय कार्यप्रणाली की सुरक्षा** के लिए किया जाना चाहिए।
- **कार्यकाल की सुरक्षा बढ़ाना:** हटाने के लिए **दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता** बढ़ाने से अध्यक्ष को **राजनीतिक दबाव से मुक्त** किया जा सकता है और **संस्थागत स्वतंत्रता** मजबूत होगी।

अध्यक्ष की भूमिका दलबदल विरोधी कानून में

दल-बदल विरोधी कानून

पृष्ठभूमि:
 इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से लाया गया था। इसके द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना था।

 <p>उद्देश्य: इसे विधायिकाओं में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था, ताकि सदस्य द्वारा अपने दल को मनमाने तरीके से छोड़ कर किसी और दल में शामिल होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।</p>	 <p>सदस्य के लिए अयोग्य ठहराए जाने के आधार:</p> <ul style="list-style-type: none"> • दल की सदस्यता त्वेच्छा से छोड़ना • सदन में मतदान के दौरान पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना
---	---

अध्यक्ष/ सभापति की भूमिका:



- ये अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं।
- अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेते हैं।
- अयोग्यता संबंधी प्रक्रिया में अंतिम निर्णायक होते हैं।

दल बदल विरोधी कानून में निष्पक्ष अध्यक्ष का महत्व

- **विधायी अखंडता की सुरक्षा:** अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। जब पक्षपात निष्पक्षता पर हावी हो जाता है, तो संवैधानिक नैतिकता प्रभावित होती है।
 - उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश दलबदल मामला (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अध्यक्ष की निष्पक्षता लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।"
- **समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करना:** एक निष्पक्ष अध्यक्ष दलबदल मामलों पर समय-सीमा में निर्णय सुनिश्चित करता है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में सार्वजनिक विश्वास के लिए आवश्यक है।
 - निर्णय: केशम मेघाचंद्र सिंह (2023) में संविधान पीठ ने कहा कि अयोग्यता मामलों में देरी लोकतांत्रिक नैतिकता का उल्लंघन है और यह विधायी बहुमत के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **राजनीतिक सौदेबाजी पर नियंत्रण:** एक निष्पक्ष अध्यक्ष चुनाव के बाद के दल बदल, प्रलोभन और सरकारों के व्यवस्थित विघटन को रोकता है।
 - उदाहरण: कर्नाटक (2019) और गोवा (2017) में राजनीतिक पुनर्संगठन ने दिखाया कि कमजोर अध्यक्ष निष्पक्षता ने हौस-ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया।

- **संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना:** निष्पक्ष आचरण संविधान की भावना की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि दल बदल विरोधी कानून सरकार की स्थिरता बढ़ाए, पक्षपात का लाभ नहीं।
- **हटाने के प्रस्ताव के दौरान दुरुपयोग रोकना:** एक निष्पक्ष अध्यक्ष उस स्थिति में दलबदल मामलों पर निर्णय नहीं करता जब उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, जिससे हितों के टकराव से बचा जा सके।

दल बदल विरोधी कानून में अध्यक्ष की भूमिका से संबंधित समस्याएँ

- **निर्णय-निर्माण में पक्षपात:** अध्यक्ष प्रायः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, जिससे दल बदल मामलों में पक्षपात के आरोप लगते हैं।
 - **किहोटो होलोहन (1993):** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अध्यक्ष के नेतृत्व वाली कार्यवाही में राजनीतिक पक्षपात की संभावना होती है।
- **प्रक्रियागत शून्यता और कानूनी अस्पष्टता:** दसवीं अनुसूची दलबदल याचिकाओं के निर्णय के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करती, जिससे रणनीतिक विलंब संभव होता है।
- **सरकारों की सुरक्षा हेतु अयोग्यता में देरी:** अध्यक्ष अक्सर याचिकाओं पर निर्णय में विलंब करते हैं ताकि सत्तारूढ़ गठबंधनों को बहुमत बनाए रखने में मदद मिल सके।
 - **उदाहरण: मणिपुर (2017)** – सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सप्ताह का निर्देश देने के बावजूद याचिकाएँ वर्षों तक लंबित रहीं।
- **राजनीतिक उद्देश्य से अयोग्यता:** अध्यक्षों ने कभी-कभी सदस्यों को चयनात्मक रूप से अयोग्य घोषित किया ताकि बहुमत बदला जा सके।
 - **उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश (2016)** – 16 विधायकों को बिना किसी व्हिप उल्लंघन के अयोग्य घोषित किया गया, जिससे सत्तारूढ़ गुट को लाभ मिला।
- **हितों का टकराव:** अध्यक्ष एक साथ पार्टी सदस्य और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होते हैं, जिससे संरचनात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है।
 - **पंची आयोग (2010):** चेतावनी दी कि यह द्वैतता निष्पक्षता को कमजोर करती है।
- **विलंब का शासन पर प्रभाव:** कई बार दलबदल करने वाले मंत्री या प्रभावशाली सदस्य बन जाते हैं इससे पहले कि अयोग्यता लागू हो।
 - **CMS 2021:** 71% दलबदल करने वाले मंत्री बने।
- **अ निर्णय सरकार गिरा सकता है:** अध्यक्ष की निष्क्रियता से दलबदल करने वाले सदस्य सदन में बने रहते हैं और बहुमत बदल सकता है।
 - **उदाहरण: कर्नाटक (2019)** – इस्तीफे और दलबदल लंबित थे जब सरकार ढह गई।
- **अयोग्यता से बचने के लिए इस्तीफा का उपयोग:** अध्यक्ष अक्सर सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं जिससे वे अयोग्यता से बचकर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो जाते हैं।
 - **उदाहरण: कर्नाटक (2019)** – कई विधायक विश्वास मत से ठीक पहले इस्तीफा देकर बच गए।
- **स्वतंत्र अपील तंत्र का अभाव:** अध्यक्ष के निर्णय अंतिम हैं (सिवाय न्यायिक समीक्षा के), जिससे लंबी विवादास्पद प्रक्रिया चलती रहती है।

मार्गदर्शन / सुधार के उपाय

- **स्वतंत्र न्यायाधिकरण तंत्र:** पूर्व सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिए जो अयोग्यता याचिकाओं का निर्णय करे।
 - सिफारिश: विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट) और दिनेश गोस्वामी समिति (1990)।
- **निर्णय के लिए विधिक समयसीमा:** दसवीं अनुसूची में 30/60 दिनों की अनिवार्य समयसीमा जोड़ी जानी चाहिए।
 - सुप्रीम कोर्ट के मुझाव (केशम मेघाचंद्र, 2020) के अनुसार, लंबित विलंब संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है।

- **आचार संहिता:** अध्यक्ष के लिए **विस्तृत आचार संहिता** बनाई जानी चाहिए, जो **निष्पक्षता, गैर-दलीयता और संस्थागत जवाबदेही** सुनिश्चित करे।
- **न्यायिक सुरक्षा:** अदालतें अध्यक्षों द्वारा **अनावश्यक विलंब** होने पर हस्तक्षेप कर सकें, जिसमें **अनुच्छेद 142** के तहत **समयसीमा लागू करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना** शामिल हो।
- **चुनावी दंड:** नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाकर **वोटर दलबदल करने वालों को मतदान में दंडित करें**, क्योंकि **PRS (2023)** के अनुसार केवल 12% दलबदल करने वाले चुनाव हारते हैं।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:**
 - **ब्रिटेन और कनाडा:** अध्यक्ष पूर्णतः **गैर-दलीय**, पार्टी से इस्तीफा, और **सभी दलों की गुप्त वोटिंग** से निर्वाचित।
 - **दक्षिण अफ्रीका:** दलबदल विवादों का निर्णय **न्यायिक आयोग** द्वारा लिया जाता है, न कि अध्यक्ष द्वारा।

अध्यक्ष और मनी बिल

मनी बिल (Money Bill) – अनुच्छेद 110		
विषय-वस्तु (केवल): <ul style="list-style-type: none"> कराधान (Taxation) उधारी (Borrowing) समेकित निधि / आपात निधि से धन का संधारण या निकासी विनियोग (Appropriation) आरोपित व्यय (Charged Expenditure) प्राप्तियाँ, लोक लेखा, लेखा परीक्षण उपर्युक्त से संबंधित या आनुषंगिक विषय। केवल जुर्माना, शुल्क या स्थानीय कर से संबंधित होने पर कोई विधेयक "मनी बिल" नहीं कहलाता। 	प्रमाणीकरण: <ul style="list-style-type: none"> लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) द्वारा – अंतिम और निर्णायक। विधेयक पर अनुमोदन अंकित किया जाता है। 	प्रस्तुति: <ul style="list-style-type: none"> केवल लोकसभा में। केवल मंत्री द्वारा। केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। बावल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर।
राज्यसभा की भूमिका: <ul style="list-style-type: none"> केवल सुझाव दे सकती है। 14 दिनों में लौटाना आवश्यक। लोकसभा चाहे तो स्वीकार करे या अस्वीकार। यदि कार्रवाई न करे → स्वतः पारित (Deemed Passed) माना जाएगा। 	राष्ट्रपति की भूमिका: <ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति या अस्वीकृति। वापस नहीं भेज सकते। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। 	राष्ट्रतिदति भूमिका: <ul style="list-style-type: none"> स्वीकृति या अस्वीकृति। वापस हटो मेड़ रकले रखते राचर बैंक बैंक या धालवाहीं।
संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 110 एवं 109)	वित्तीय विधेयकों से संबंधित अध्यक्ष के अधिकार	
<ul style="list-style-type: none"> अध्यक्ष का विशेष अधिकार (अनुच्छेद 110(3)): केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह अंतिम अधिकार होता है कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं। यह वित्तीय शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन में केंद्रीकृत करता है, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना भी पैदा करता है। संवैधानिक परिभाषा: अनुच्छेद 110 वित्तीय विधेयकों 	<ul style="list-style-type: none"> प्रमाणन पर आंतरिक चुनौती असंभव: अध्यक्ष का निर्णय संसदीय चुनौती से मुक्त होता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीमित न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी है जब संवैधानिक उल्लंघन होता है (रोजर मैथ्यू, 2019)। विधायी मार्ग पर नियंत्रण: किसी विधेयक को वित्तीय विधेयक के रूप में प्रमाणित करके, अध्यक्ष सरकार को राज्यसभा को दरकिनारा करने की अनुमति देते हैं। यह 	

को केवल कराधान, उधारी, समेकित कोष, आकस्मिक कोष, व्यय और संबंधित वित्तीय मामलों तक सीमित करता है। इनसे परे कोई भी विधेयक वित्तीय विधेयक नहीं माना जाना चाहिए।

- **राज्य सभा की सीमित भूमिका:** राज्य सभा वित्तीय विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती; वह केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिश कर सकती है। इससे उच्च सदन की वित्तीय निगरानी की भूमिका कमजोर हो जाती है।
- **अध्यक्ष का प्रमाणपत्र:** एक बार जब अध्यक्ष किसी विधेयक पर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह अनुच्छेद 122 के तहत अंतिम माना जाता है और संसद में प्रश्न नहीं किया जा सकता। यह एक कार्यालय में अत्यधिक विवेकाधिकार शक्ति प्रदान करता है।

केवल वास्तविक वित्तीय विधेयकों के लिए उचित है, लेकिन मिश्रित या राजनीतिक विधेयकों में विवादास्पद हो सकता है।

- **राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना:** अध्यक्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल लोक सभा, जो सार्वजनिक वित्त नियंत्रित करती है, वित्तीय विधेयक प्रारंभ करे, जिससे संसदीय नियंत्रण बनाए रखा जा सके।

विवादास्पद वित्तीय विधेयकों के उदाहरण:

विवादास्पद वित्तीय विधेयकों के उदाहरण

आधार अधिनियम (2016):

वित्त अधिनियम (2017):

- **आधार अधिनियम (2016):** केवल धारा 7 ही अनुदानों (वित्तीय) से संबंधित थी, फिर भी पूरे अधिनियम को वित्तीय विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया। आलोचक कहते हैं कि इसने राज्य सभा की विचार-विमर्श प्रक्रिया को जानबूझकर दरकिनार किया।
- **वित्त अधिनियम (2017):** न्यायाधिकरणों और सेवा नियमों का पुनर्गठन—वित्तीय मामला नहीं होने के बावजूद वित्तीय विधेयक के रूप में पारित। इसे राज्य सभा की समीक्षा से बचने का तरीका माना गया।
- **FCRA संशोधन, न्यायाधिकरण सुधार:** कई संशोधन और संरचनात्मक बदलाव वित्तीय विधेयक के रूप में पारित किए गए, जबकि इनमें प्रमुख गैर-वित्तीय प्रावधान शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **आधार मामला – पुत्तस्वामी-II (2018):** अधिकांश न्यायधीशों ने आधार को **वित्तीय विधेयक** के रूप में स्वीकार किया, लेकिन **न्यायमूर्ति चंद्रचूड** ने इसे **“संविधान पर धोखा”** कहा, यह तर्क देते हुए कि अधिकांश प्रावधान **अनुच्छेद 110** से संबंधित नहीं थे।
- **रोजर मैथ्यू (2019):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि **अध्यक्ष के निर्णय पूर्णतः अभेद्य नहीं** हैं और यदि वर्गीकरण **संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन** करता है तो न्यायिक समीक्षा संभव है।
- **7-सदस्यीय पीठ समीक्षा (लंबित):** सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ **आधार और वित्त अधिनियम के प्रमाणन** पर पुनर्विचार कर रही है, जो **अध्यक्ष के अधिकार को स्थायी रूप से परिभाषित** कर सकता है।

वित्तीय विधेयकों पर अध्यक्ष के अधिकार की आलोचनाएँ

- **द्विसदनीयता और संघवाद कमजोर करना:** वित्तीय विधेयक प्रमाणन का दुरुपयोग राज्य सभा को दरकिनार करता है, जिससे **राज्यों की महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रिया में भागीदारी** सीमित होती है।
- **कार्यपालिका का विधायिका पर प्रभुत्व:** सत्तारूढ़ दल **विवादास्पद विधेयकों को वित्तीय विधेयक के रूप में प्रमाणित** कराने के लिए अध्यक्ष पर दबाव डाल सकता है, जिससे **संसद पर कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ता** है और **विचार-विमर्श लोकतंत्र कमजोर** होता है।
- **संसदीय समीक्षा से बचना:** वित्तीय विधेयक वर्गीकरण से विधेयक **स्थायी समितियों की समीक्षा के बिना पारित** हो सकते हैं, जिससे **विशेषज्ञ जांच कम** होती है।
 - उदाहरण: **आधार अधिनियम (2016)** बिना समिति समीक्षा के पारित।
- **“संबंधित प्रावधानों” के लिए कोई मानक नहीं:** **अनुच्छेद 110 अस्पष्ट** है, विशेष रूप से “संबंधित मामलों” के संदर्भ में, जिससे **विषयात्मक व्याख्या** की सुविधा मिलती है और **मिश्रित विधेयकों** को वित्तीय विधेयक घोषित किया जा सकता है।
- **राजनीतिक उद्देश्य से उपयोग:** अध्यक्ष कभी-कभी **सरकार को राज्य सभा के विरोध से बचाने** के लिए विधेयक को वित्तीय घोषित कर सकते हैं।
 - उदाहरण: **वित्त अधिनियम (2017)**—न्यायाधिकरण, सेवा शर्तों का पुनर्गठन—केवल **राज्य सभा की समीक्षा से बचने के लिए**।
- **विपक्ष की भूमिका कम होना:** राज्य सभा में **विपक्षी सांसदों का प्रभाव कम** हो जाता है, जिससे **संसदीय जवाबदेही और संतुलन कमजोर** होता है।
- **संसद को औपचारिकता में बदलना:** वित्तीय विधेयक मार्ग का बार-बार दुरुपयोग **बहुमत-प्रधान औपचारिकता** बना सकता है, जिससे **बहस, असहमति और सहमति निर्माण की महत्ता कम** होती है।
- **संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन:** सुप्रीम कोर्ट (**पुत्तस्वामी-II असहमति और 2019 रोजर मैथ्यू**) ने कहा कि **वित्तीय विधेयक मार्ग का दुरुपयोग संविधान की भावना, सदन के बीच संतुलन और निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन** करता है।
- **वित्तीय जवाबदेही तंत्र के लिए खतरा:** वित्तीय विधेयक **राज्य सभा को दरकिनार** करता है, जहां **विशेषज्ञ अक्सर वित्तीय प्रभाव की समीक्षा** करते हैं। इससे **भारत के वित्तीय जवाबदेही ढांचे की ताकत कमजोर** होती है।

सुधार और आगे का मार्ग

- **NCRWC (2002):** वित्तीय विधेयक वर्गीकरण पर **दिशानिर्देशों का संहिताकरण** करने की सिफारिश, ताकि दुरुपयोग रोका जा सके और **द्विसदनीयता सुरक्षित** रहे।
- **दिनेश गोस्वामी समिति (1990):** अध्यक्ष की **निष्पक्षता की प्रथाओं को मजबूत** करने का सुझाव, विशेष रूप से वित्तीय विधेयकों में।

- **विधि आयोग (2015):** वित्तीय विधेयक मार्ग का **दुरुपयोग संविधानिक संतुलन को कमजोर** करता है और **न्यायिक समीक्षा हमेशा खुली रहनी चाहिए।**
- **संवैधानिक दिशानिर्देश:** वित्तीय विधेयकों के लिए **स्पष्ट मानदंड निर्धारित** करना ताकि **मनमाना उपयोग सीमित** हो।
- **सीमित न्यायिक समीक्षा की अनुमति:** अदालतों को केवल **गंभीर असंवैधानिक प्रमाणन** पर समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए, बिना सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप के।
- **अध्यक्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करना:** वैश्विक प्रथाओं के अनुसार, **ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया** में अध्यक्ष **निर्वाचन के बाद गैर-दलीय बने रहते हैं।**
- **मिश्रित विधेयक को समितियों को भेजना:** किसी भी विधेयक में **वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रावधान दोनों** हों, तो उसे स्वचालित रूप से **स्थायी समितियों** को भेजा जाना चाहिए।
- **संसदीय प्रथा का संविधानिकरण:** भारत को यह प्रथा **लिखित रूप में लागू** करनी चाहिए कि **अध्यक्ष वित्तीय मामलों में निष्पक्ष रूप से कार्य करें।**

एक बार स्पीकर, हमेशा स्पीकर:



लोक सभा के उपसभापति

ऐतिहासिक विकास:

- **अध्यक्ष/उपसभापति का पद मोटैगू-चेल्सफ़ोर्ड सुधार (1919)** के तहत उत्पन्न हुआ।
- प्रारंभ में इन्हें **केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** कहा जाता था।
- **1921 से पहले**, सत्रों की अध्यक्षता **भारत के गवर्नर-जनरल** करते थे।
- **फ्रेडरिक व्हाइट** → पहले अध्यक्ष (तब "अध्यक्ष")।
- **सचिदानंद सिन्हा** → पहले उपसभापति।
- **विठ्ठलभाई पटेल (1925)** → पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष।
- **भारत सरकार अधिनियम 1935** ने आधुनिक पदनाम पेश किया, जो **1947 के बाद लागू** हुआ।
- **जी.वी. मावलंकर** → पहले लोक सभा के अध्यक्ष (और संविधान सभा के भी)।
- **अय्यंगार** → पहले लोक सभा के उपसभापति।

चुनाव और नियुक्ति:

- उपसभापति को **लोक सभा के सदस्यों में से निर्वाचित** किया जाता है, और उनका चुनाव **अध्यक्ष के चुनाव के बाद** होता है।
- चुनाव की **तारीख अध्यक्ष द्वारा तय** की जाती है, जिससे सदन की **प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता** सुनिश्चित होती है।
- जब भी पद खाली होता है, सदन **किसी अन्य सदस्य का चुनाव** करता है।
- संविधान इस चुनाव के लिए **समय-सीमा निर्धारित नहीं करता**, जिससे हाल की लोक सभाओं में **विलंब** हुआ है—एक बार-बार होने वाली **राजनीतिक समस्या**।

कार्यकाल और पदत्याग की शर्तें:

- जैसे अध्यक्ष, उपसभापति भी सामान्यतः **लोक सभा के पूरे कार्यकाल** के लिए पद पर रहते हैं।
- वह कार्यालय खाली कर सकते हैं यदि:
 - वह **सांसद नहीं रहते**,
 - वह **अध्यक्ष को इस्तीफा** देते हैं,
 - वह **विशेष बहुमत (सभी सदस्यों की बहुमत) द्वारा हटाए जाते हैं**, 14-दिन की सूचना के साथ।
- **हटाने की प्रक्रिया** अध्यक्ष की तरह होती है—समान सुरक्षा, **स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित** करने के लिए।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शक्तियाँ:

- जब **अध्यक्ष का पद खाली** हो या वह अनुपस्थित हो, उपसभापति **सभी शक्तियाँ और कार्य** निभाते हैं।
- वह **प्रस्तावों, बहसों और अनुशासनात्मक मामलों** में पूर्ण अधिकार के साथ अध्यक्षता करते हैं।
- यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो वह **सांसद की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108)** की अध्यक्षता भी करते हैं।

अध्यक्ष के अधीन नहीं:

- उपसभापति **अध्यक्ष के अधीन नहीं** होते; वह सीधे **लोक सभा के प्रति जिम्मेदार** होते हैं।
- दोनों का चुनाव सदन द्वारा किया जाता है; संविधान के अनुसार **कोई भी पद दूसरे से श्रेष्ठ नहीं**।

विशेष विशेषाधिकार – स्वचालित अध्यक्षता:

- जब भी उपसभापति **किसी संसदीय समिति के सदस्य** बनते हैं, वह **स्वचालित रूप से उसके अध्यक्ष** बन जाते हैं।
- यह **अप्रत्यक्ष पदोन्नति** पद की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाती है।

मतदान अधिकार और निर्णायक मत:

- सदन की अध्यक्षता करते समय उपसभापति, जैसे अध्यक्ष, सामान्यतः **मतदान नहीं करते**, लेकिन **समान मत होने पर निर्णायक मत** दे सकते हैं।
- जब उनके **अपने हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन** हो, वह अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन **उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं**।

अध्यक्ष की उपस्थिति में भूमिका:

- जब अध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे होते हैं, उपसभापति **साधारण सदस्य** बन जाते हैं—**बोलने, बहस में भाग लेने, प्रस्ताव लाने और मतदान करने** के लिए स्वतंत्र।
- यह **दोहरी भूमिका**—अध्यक्षता करते समय निष्पक्ष, अन्यथा राजनीतिक—पद को **अद्वितीय** बनाती है।

वेतन और भत्ते:

- उपसभापति को **संपूर्ण भारत कोष से वेतन और भत्ते** मिलते हैं, जिससे **कार्यपालिका हस्तक्षेप से वित्तीय स्वतंत्रता** सुनिश्चित होती है, जैसा कि अध्यक्ष के मामले में होता है।

राजनीतिक प्रथा (1996 के बाद की परंपरा):

- 10वीं लोक सभा तक, दोनों अध्यक्ष और उपसभापति शासक दल से होते थे।
- 11वीं लोक सभा से, एक स्वस्थ प्रथा विकसित हुई—
 - अध्यक्ष → शासक दल/गठबंधन से,
 - उपसभापति → मुख्य विपक्ष से।

अलग शपथ की आवश्यकता नहीं:

- न अध्यक्ष और न ही उपसभापति कोई विशेष शपथ लेते हैं। उनका सांसद के रूप में शपथ (अनुच्छेद 99) कार्यालय ग्रहण करने के लिए पर्याप्त है।

उपसभापति का महत्व:

- सदन की निरंतरता: उपसभापति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोक सभा के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करते हैं।
- संवैधानिक स्थिरता: पद संस्थागत स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हमेशा एक अध्यक्षीय प्राधिकारी मौजूद रहता है।
- संयुक्त बैठक की भूमिका: अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठकों में अध्यक्षता, विधायी गतिरोध को सुलझाने में महत्वपूर्ण।
- स्वतंत्र स्थिति: उपसभापति अध्यक्ष के अधीन नहीं और सीधे सदन के प्रति जिम्मेदार।
- कार्यभार साझा करना: लंबी या तनावपूर्ण सत्रों में अध्यक्षीय कार्यभार साझा करना, विधायी दक्षता बढ़ाना।
- द्विपक्षीय प्रतीक: विपक्ष से उपसभापति का चुनाव द्विपक्षीयता को बढ़ावा देता है और संसद में लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है।
- समिति नेतृत्व: किसी समिति का सदस्य होने पर स्वचालित अध्यक्षता, विधायी समीक्षा को मजबूत करना।
- प्रशिक्षण मंच: भविष्य के अध्यक्षों को प्रक्रियात्मक कौशल और नेतृत्व का अनुभव देना।
- शक्ति के केंद्रीकरण की सीमा: उपसभापति की उपस्थिति अधिकार का वितरण सुनिश्चित करती है और एक कार्यालय में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण रोकती है।

उपसभापति के कार्यालय के संचालन के लिए सुरक्षा उपाय:

- स्पष्ट संवैधानिक समय-सीमा: उपसभापति के चुनाव के लिए स्थिर समय-सीमा (जैसे लोक सभा गठन के 30 दिन के भीतर) निर्धारित की जानी चाहिए।
- द्विपक्षीय प्रथा: विपक्ष से उपसभापति के चुनाव की प्रथा सिद्धांत रूप से औपचारिक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए।
- निष्पक्षता संहिता: उपसभापति के स्वतंत्र संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक कोड ऑफ न्यूट्रैलिटी तैयार किया जाना चाहिए।
- समिति भूमिका को सुदृढ़ करना: उपसभापति को संसदीय समितियों में संरचित जिम्मेदारियाँ देने से संस्थागत महत्व और प्रक्रियात्मक अधिकार बढ़ता है।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: सदन नियम, संवैधानिक नैतिकता और विधायी प्रक्रिया पर नियमित प्रशिक्षण, निष्पक्ष संचालन को मजबूत करता है।
- संस्थागत समर्थन कर्मचारी: विशिष्ट सचिवीय और शोध सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उपसभापति की प्रशासनिक दक्षता बढ़े।

लोक सभा के चेयरपर्सन्स पैनल

- **रचना और नामांकन:** चेयरपर्सन्स पैनल में अधिकतम दस सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष सीधे लोक सभा के सदस्यों में से नामांकित करते हैं। यह नामांकन अध्यक्ष को अनुभवी और अनुशासित सदस्यों को प्रक्रियाओं की अध्यक्षता के लिए चुनने में लचीलापन देता है।
- **अध्यक्ष और उपसभापति की अनुपस्थिति में भूमिका:** पैनल का कोई भी सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है जब अध्यक्ष और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों।
 - अध्यक्षता के दौरान, वे अध्यक्ष जैसी सभी शक्तियाँ और अधिकार प्रयोग करते हैं, जिससे सदन की सतत कार्यप्रणाली सुनिश्चित होती है।
- यह तंत्र विघटन से बचाता है और अस्थायी अनुपस्थिति में भी संसदीय कार्यों को बाधित नहीं होने देता।
- **पैनल सदस्यों का कार्यकाल:** नामांकित पैनल सदस्य पद पर तब तक रहते हैं जब तक अध्यक्ष पैनल को पुनर्गठित नहीं करते। कोई निश्चित अवधि नहीं होती, और अध्यक्ष प्रदर्शन, अनुशासन या राजनीतिक संतुलन के आधार पर सदस्यों को किसी भी समय बदल सकते हैं।
- **अध्यक्ष/उपसभापति के पद खाली होने पर सीमा:** यदि अध्यक्ष या उपसभापति का पद खाली हो, तो पैनल सदस्य अध्यक्षता नहीं कर सकते। ऐसे समय में, राष्ट्रपति लोक सभा के किसी सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं। यह संवैधानिक आवश्यकता सुनिश्चित करता है कि केवल नियुक्त अध्यक्ष ही कार्यालय खाली होने पर कार्य कर सकते हैं, न कि नामांकित।
- **पैनल सदस्य अनुपस्थित होने पर सदन की स्वतंत्रता:** यदि किसी बैठक में पैनल के कोई सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो सदन स्वयं किसी अन्य सांसद को अध्यक्ष के रूप में चुन सकता है। यह सदन की संगठित स्वायत्तता को दर्शाता है।
- **पैनल के पीछे का संवैधानिक तर्क:** पैनल सुनिश्चित करता है कि सदन संस्थागत निरंतरता बनाए रखे बिना अध्यक्ष या उपसभापति पर अधिक भार डाले।
 - यह भविष्य के संभावित अध्यक्षों को प्रशिक्षण और अनुभव भी प्रदान करता है।
- **अध्यक्षता के दौरान कार्य:** पैनल सदस्य व्यवस्था बनाए रखते हैं, बहस का नियंत्रण करते हैं, ऑर्डर ऑफ़ ऑर्डर तय करते हैं और अनुशासन लागू करते हैं—अध्यक्ष की तरह।
 - हालांकि, वे संविधान की व्याख्या में अंतिम अधिकार नहीं रखते जैसे अध्यक्ष करते हैं।
- **निर्णायक मत नहीं:** अध्यक्ष की तरह, पैनल चेयरपर्सन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि यह शक्ति विशेष रूप से अध्यक्ष के पद से जुड़ी है।
- **मनी बिल प्रमाणन या एंटी-डिफेक्शन में कोई भूमिका नहीं:** पैनल सदस्य मनी बिल प्रमाणित नहीं कर सकते और न ही एंटी-डिफेक्शन मामलों का निर्णय ले सकते हैं। केवल अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) ही ये संवैधानिक शक्तियाँ प्रयोग कर सकते हैं।
- **महत्वपूर्ण मिसाल:** पैनल का उपयोग अक्सर बजट सत्रों या लंबी बहसों में किया जाता है, जहाँ कार्यभार साझा करना आवश्यक होता है। कई वरिष्ठ सांसद पैनल चेयरपर्सन के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, बाद में उपसभापति या अध्यक्ष बनते हैं।

स्पीकर प्रो टेम

- **संवैधानिक आधार:** नई निर्वाचित लोक सभा की पहली बैठक से पहले, पिछली लोक सभा का अध्यक्ष अपने पद को स्वचालित रूप से खाली कर देता है। चूंकि सदन अध्यक्ष के बिना कार्य नहीं कर सकता, राष्ट्रपति स्पीकर प्रो टेम नियुक्त करते हैं ताकि अस्थायी रूप से कार्यवाही संचालित की जा सके।
- **नियुक्ति:** स्पीकर प्रो टेम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसदीय परंपरा के तहत की जाती है। आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सांसद का चयन किया जाता है ताकि निष्पक्षता, गरिमा और प्रक्रियात्मक परिचितता सुनिश्चित हो। यह प्रथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की परंपरा का अनुसरण करती है।
- **शपथ:** राष्ट्रपति स्वयं स्पीकर प्रो टेम को शपथ दिलाते हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है जब राष्ट्रपति संसद सदस्य को शपथ दिलाते हैं। सामान्य शपथ (सांसदों के लिए) अध्यक्ष द्वारा दी जाती है, लेकिन चूंकि अध्यक्ष अभी अस्तित्व में नहीं है, यह विशेष प्रावधान आवश्यक है।
- **शक्तियाँ:** स्पीकर प्रो टेम को अध्यक्ष जैसी सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं—व्यवस्था बनाए रखना, बहसों की अध्यक्षता करना और सदन को नियंत्रित करना। हालांकि, उनके कार्य केवल नई लोक सभा के प्रारंभिक कार्यों तक सीमित हैं।
- **प्रमुख कार्य:**
 - **सांसदों को शपथ दिलाना:** उनकी पहली जिम्मेदारी है सभी नव निर्वाचित सांसदों को शपथ/सत्यापन दिलाना। इसके बिना सांसद सदन के कार्यों में भाग नहीं ले सकते, वोट नहीं कर सकते और अध्यक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।
 - **नए अध्यक्ष के चुनाव की सुविधा प्रदान करना:** शपथ दिलाने के बाद, स्पीकर प्रो टेम नए अध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष के निर्वाचित होते ही, स्पीकर प्रो टेम की भूमिका तुरंत समाप्त हो जाती है।
- **अस्थायी स्वरूप:** यह पद पूरी तरह अस्थायी होता है, आमतौर पर 2-3 बैठकों तक सीमित। नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद तुरंत समाप्त हो जाता है। चूंकि यह स्थायी संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए किसी अलग शपथ, कार्यकाल, महाभियोग प्रक्रिया या भत्ते की आवश्यकता नहीं होती।
- **संवैधानिक नहीं, परंपरा:** भले ही संविधान स्पष्ट रूप से "स्पीकर प्रो टेम" का नाम न ले, यह एक स्थापित संवैधानिक परंपरा है। यह अनुच्छेद 93 और 94 से व्युत्पन्न है, जो निर्वाचित अध्यक्ष का प्रावधान करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद का "अंतराल" छोड़ते हैं।
- **विधानिक निरंतरता के लिए महत्व:** स्पीकर प्रो टेम सुनिश्चित करता है कि पुरानी लोक सभा से नई लोक सभा में सतत और निर्बाध संक्रमण हो। इस कार्यालय के बिना, सदन कानूनी रूप से शपथ नहीं दिला सकता या अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकता।





Riyasat IAS Mentorship

मेन्स PYQs

- प्रश्न 1.** 'एक बार अध्यक्ष, हमेशा अध्यक्ष!' क्या आपको लगता है कि इस प्रथा को लोक सभा के अध्यक्ष के पद में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए अपनाया जाना चाहिए? इस प्रथा के संसदीय कार्यों के सुचारु संचालन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? [150 शब्द] [10 अंक] [2020]
- प्रश्न 2.** राज्य विधानसभाओं में अध्यक्षों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, विशेषकर विधानिक कार्य में व्यवस्था और निष्पक्षता बनाए रखने और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रथाओं को लागू करने में। [10 अंक] [2023]

Riyasat IAS
Mentorship